

2090/PS/UDH
17/07/2020

राजस्थान सरकार
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

विषय:- राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग अनिवार्य है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.01.2020, तत्पश्चात् 01.02.2020 व 31.03.2020 तक तिथि बढ़ायी गयी थी। इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2020 एवं 18.06.2020 द्वारा उक्त कार्य हेतु तिथि दिनांक 01.07.2020 तक बढ़ा दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक ई-मेल यथा yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि के माध्यम से संचार/संवाद व्यवस्था का उपयोग राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर प्रतिबंधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस क्रम में सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल में समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को प्रशासनिक विभाग के स्तर से पुनः निर्देशित किया जाना उचित होगा कि सरकारी ई-मेल सिस्टम/सेवाओं यथा username@rajasthan.gov.in/username@ rajasthan.in सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एवं username@nic.in NIC के ई-मेल का अनिवार्यत उपयोग किया जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर तीन माह की अवधि में आपके अधीन कार्यरत शत प्रतिशत नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं द्वारा पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।



(निरजन कुमार आर्य)
अति. मुख्य सचिव
वित्त विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/शासन सचिव
यू.ओ.नोट क्र.प.(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013
जयपुर, दिनांक 10.07.2020

58
16/7

Memo No. 11

Attn: (10)

Get Copy

Get Copy

Get Copy

Get Copy

Get Copy

